



राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
 [कार्पोरेट पहचान कर्मीक (CIN):U40109RJ2000SGC016485]
 रजि.कार्या: विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर-302005.
 टेलि.+91-141-2740844 ; फैक्स+91-141-2740455
 ईमेल:as.gad@rvpn.co.in ; वेब साईट www.rvpn.co.in



No.:RVPN/DS(GAD)/F.COVID /2021-22/D. 70

Date: 29/04/2021

परिपत्र

राज्य में कोविड-19 संक्रमण के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने दिनांक 14,18/04/2021 को विस्तृत जानकारी जारी की है। इसके अतिरिक्त निगम कर्मियों के लिए आदेश दिनांक 16.04.2021 द्वारा आवश्यक दिशानिर्देश जारी किये गए थे।

यह संज्ञान में आया है कि विगत दिनों में निगम के अधिकारी/कर्मचारीगण भी कोविड-19 संक्रमित हुये है। अतः एतद द्वारा निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. सभी विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार (Covid Appropriate Behavior) यथा फेस मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाये रखने को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे।
2. मुख्य अभियंता-सिविल निगम भवन के समस्त कार्यालयों में सेनेटाइजर एवं मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
3. प्रत्येक संभाग स्तर पर गठित होने वाली Anti Covid Team में निम्न सदस्य होंगे।
 1. उप-निदेशक कार्मिक
 2. वरिष्ठ लेखाधिकारी
 3. प्रावैधिक सहायक - मुख्य अभियंता
4. प्रत्येक वृत्त स्तर पर गठित होने वाली Anti Covid Team में निम्न सदस्य होंगे।
 1. प्रावैधिक सहायक - अधीक्षण अभियंता
 2. वृत्त कार्मिक अधिकारी
 3. वृत्त लेखाधिकारी

उक्त Anti Covid Team टीम संभाग/ वृत्त में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण के फैलाव पर नजर रखेगी। किसी भी कार्मिक को अस्पताल की दवाईयां व अन्य किसी भी प्रकार की आपातकालीन आवश्यकता होने पर तुरंत चिकित्सालय प्रबंधन/ चिकित्सा विभाग / जिला प्रशासन से समन्वय कर यथा संभव सहायता करेंगे।

कमश2

इस संबंध में निगम स्तर पर पूर्व में आदेश संख्या 249 दिनांक 21.07.2020 द्वारा गठित कमेटी कारपोरेट कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण के फैलाव पर नजर रखेगी तथा क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त कोरोना सम्बन्धित प्रकरण की समीक्षा कर उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करेगी ।

समस्त मुख्य/ संभागीय/ अति. मुख्य अभियन्ता/ मुख्य लेखा नियन्त्रक/ मुख्य अधीक्षण अभियन्ता अधीक्षण अभियन्ता (QC) द्वारा दिनांक 29.04.2021 को जारी (मेल) निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे ।

समस्त मुख्य/ अधीक्षण अभियन्ता Anti Covid Team को तुरन्त प्रभाव से गठित कर दिनांक 30.04.2021 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

(एच.एम.ढाका) 29/4
सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जोनल मुख्य अभियन्ता (टी.एण्ड.सी.) रा.रा.वि.प्रसा.नि.लि., जयपुर / अजमेर / जोधपुर ।
2. मुख्य अभियन्ता / अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता () रा.रा.वि.प्रसा.नि.लि., जयपुर / अजमेर / जोधपुर ।
3. मुख्य लेखा नियन्त्रक, रा.रा.वि.प्रसा.नि.लि., विद्युत भवन, जयपुर ।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी, रा.रा.वि.प्रसा.नि.लि., विद्युत भवन, जयपुर ।
5. जे.एल.आर., रा.रा.वि.प्रसा.नि.लि., विद्युत भवन, जयपुर ।
6. संयुक्त निदेशक (कम्पनी मामलात) - सह कम्पनी सचिव, रा.रा.वि.प्रसा.नि.लि., जयपुर ।
7. भूमि अवाप्ति अधिकारी, रा.रा.वि.प्रसा.नि.लि., विद्युत भवन, जयपुर ।
8. नियन्त्रक आन्तरिक अंकक्षेक, रा.रा.वि.प्रसा.नि.लि., विद्युत भवन, जयपुर ।
9. संयुक्त निदेशक (कार्मिक), रा.रा.वि.प्रसा.नि.लि., विद्युत भवन, जयपुर ।
10. संयुक्त सचिव (पेन्शन), रा.रा.वि.प्रसा.नि.लि., विद्युत भवन, जयपुर ।
11. तकनीकी सहायक-अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.वि.प्रसा.नि.लि., जयपुर ।
12. तकनीकी सहायक-निदेशक (तकनीकी/ऑपरेशन), रा.रा.वि.प्रसा.नि.लि., जयपुर ।
13. अधीक्षण अभियन्ता (), रा.रा.वि.प्रसा.नि.लि.,
14. सहायक सचिव (संस्था.-I/II/III), रा.रा.वि.प्रसा.नि.लि., जयपुर ।
15. लेखाधिकारी (प्रशा. एवं भण्डार), रा.रा.वि.प्रसा.नि.लि., विद्युत भवन, जयपुर ।
16. जन सम्पर्क अधिकारी, रा.रा.वि.प्रसा.नि.लि., विद्युत भवन, जयपुर ।
17. निजी सहायक -निदेशक (वित्त), रा.रा.वि.प्रसा.नि.लि., विद्युत भवन, जयपुर ।
18. निजी सहायक-सचिव (प्रशासन), रा.रा.वि.प्रसा.नि.लि., विद्युत भवन, जयपुर ।
19. वेब एडमिन, कार्या. अधीक्षण अभियन्ता ;डैप्ट, रा.रा.वि.प्रसा.नि.लि., विद्युत भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि प्रसारण निगम की वेब-साईट पर अपलोड करे ।

Rajsharma
29.04.21
(आर.के.शर्मा)
उप. सचिव (जी.ए.डी.)